E-Mail

274/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 / दिनांकः–

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत सेग्रीगेशन व उसके पश्चात पी–21 की प्रक्रिया को ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत लाने में आ रही समस्याओं व मार्गदर्शन बाबत् ।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8071 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया हैः–

1. सॉफ्टवेयर में नामान्तरकरण के प्रोसेस की दिनांक तथा पी–21 पर प्रिन्टिंग दिनांक (जिस दिन पी–21 का पटवारी प्रिन्ट देगा) के रूप में रखी है तथा नामान्तरकरण के फाइनल हेतु 47 दिन रखे गए है,(पटवारी स्तर–07, आईएलआर स्तर–10 व पंचायत/राजस्व अधिकारी स्तर–30 दिन) अतः यह 47 दिन आवेदन दिनांक से शुरू माने जाए या प्रिन्टिंग दिनांक से, के बारे में मार्गदर्शन चाहा गया है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव (पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी) के स्तर पर किया जाता है जिसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलना का विकल्प रखा गया है में नामान्तरकरण स्वीकृत हुे 47 दिन कब से माने जायेंगे।
2. पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना चाहिए, निर्देश देने बाबत् निवेदन किया गया है।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 119 में स्पष्ट प्रावधान है कि सूचना की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर भू0अ0निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अतः बिन्दु संख्या 1 के क्रम में स्पष्ट है कि सूचना की प्राप्ति से ही निर्धारित समयावधि की गणना होगी। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि दस्तावेज के पंजीकरण की तिथि है जबकि सूचना प्राप्ति की तिथि प्रिंटिंग की तिथि होगी।

उक्त निर्धारित अवधि में ही नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पूर्व पी–21 रिपोर्ट में यदि कोई बदलाव पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व पी–21 रिपोर्ट में बदलाव का अधिकार जांचकर्त्ता अधिकारी, स्वीकृत करने वाले अधिकारी (राजस्व अधिकारी) को प्रदत्त करना है। जिन नामान्तरकरण में निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा रहा है उनमें भी सहवन से दर्ज नामान्तरकण की प्रकृति में परिवर्तन हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें। बिन्दु संख्या 2 के क्रम में पी–21 रिपोर्ट में दाहिनी ओर व बांयी ओर जो खसरे व उनका रकबा इंगित होते है, उनका दोनों ओर कुल किता व कुल रकबा भी नीचे की ओर दर्शाया जाना उचित होगा।

-Sd-
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक 13-03-18

क्रमांकः सम/476-77
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी **DILRMP**,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर